(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 384–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 66/11–12/निगरानी.

श्रीमती पार्वतीबाई पति शिवराम राठौर
निवासी माली मोहल्ला गौशाला के पास
खरगोन जिला खरगोन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– पंढरी पिता बिसन
2– कैलाश पिता बिसन
3– ग्यारसीबाई बेवा बिसन
निवासीगण ग्राम नागझिरी
तहसील गोंगावा जिला खरगोन
4– प्रेमलाल पिता नत्थूसा सुगंधी मृतक तर्फे वारिसान
(अ) औंकारलाल पिता प्रेमलाल सुगंधी
निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड जेतापुरा खरगोन
(ब) पढरी पिता प्रेमलाल सुगंधी
निवासी आदर्श नगर खण्डवा रोड खरगोन
(स) जगदीश पिता प्रेमलाल सुगंधी
निवासी ग्राम नागझिरी
तहसील गोंगावा जिला खरगोन
(द) श्रीमती गीता पति जीवनलाल गुप्ता
निवासी खरगोन
(ई) श्रीमती शीला पति प्रभुलाल गुप्ता
निवासी खरगोन .....अनावेदकगण

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक, अना. क. 1 से 3
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/4/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका पार्वतीबाई द्वारा तहसील न्यायालय गोंगावा जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बलगांव स्थित भूमि सर्वे कमांक 38/1 रकबा 1.027 हेक्टेयर तथा सर्वे कमांक 38/2 रकबा 1.032 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 28–3–2011 को कय किया गया है, अतः प्रश्नाधनी भूमि पर प्रेमलाल का नाम कम किया जाकर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–9–2011 को आदेश पारित कर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–11–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता की धारा 109, 110 में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के प्रकाश में विधि अनुरूप निर्णय लें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 11–1–2005 से प्रेमलाल को ~~विकय~~ कर दी गई थी, और वर्ष 2005 में उसका नामांतरण भी हो गया था,

और नामांतरण में अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 द्वारा न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, और न ही नामांतरण आदेश को चुनौती दी गई थी । ऐसी स्थिति में आवेदिका के आवेदन पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 को नहीं है । यह भी कहा गया कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 (सी) के अंतर्ग सशर्त गिरवीनामा उस स्थिति में होता है, जब विकय पत्र के साथ किसी लिखित दस्तावेज से गिरवीनामा प्रमाणित किया जाये । आवेदिका के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र के साथ कोई भी अन्य दस्तावेज निष्पादित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा विकय पत्र को गिरवीनामा मानने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में गिरवीनामा निष्पादित हुआ था, तब उन्हें व्यवहार न्यायालय से गिरवी से छुड़ाने के लिए वाद प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान प्रेमलाल की मृत्यु हो गई थी, परन्तु उसके वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लेकर मृत व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया गया है, इसलिए भी अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (2) एम.पी.एल.जे. 121, 2008 आर.एन. 357, 2015 आर. एन. 480 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक प्रेमलाल द्वारा कभी भी आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के पास गिरवी रखी गई थी, परन्तु बाद में बदनियती के कारण आवेदिका द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस आधार पर कहा गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को निरस्त किया गया था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि प्रश्नाधीन पभूमि पर प्रेमलाल का नाम दर्ज होते

समय आपत्ति ली जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है, क्योंकि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन को अनदेखा किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि स्वत्व के निर्धारण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को ही प्राप्त है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त को त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर